IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR.
JUDGMENT.

Motiban & ors. vs. Multanmal & ors.

S.B. Civil Second Appeal No.103/1985 against the judgment and decree dated 2.4.1985 passed by the learned District Judge, Balotra in Civil First Appeal No.27/1984.

Date of Judgment: April 10, 2006.

PRESENT
HON'BLE MR. PRAKASH TATIA,J.

Mr. Rekha Borana , for the appellants.
Mr. Jitendra Chopra, for the respondents.

BY THE COURT:

The plaintiff's suit was dismissed by both the courts below by judgment and decree of the trial court dated 9.12.1984 which was upheld by the first appellate court by judgment and decree dated 2.4.1985. The appeal was admitted on 10.2.1986 after framing substantial questions of laws. Both the parties have submitted compromise seeking decree in terms of the compromise. The compromise has been placed on record along with the application submitted in court on 25.3.2006. The compromise has been verified by the Deputy Registrar(Judicial), Rajasthan High Court, Jodhpur on 7.4.2006.

In view of the above compromise, the judgments and decrees of the two courts below are set aside and the decree is passed in terms of

the compromise as under:-

" वादीगण ने अपने परिसर भूमि की उत्तर भुजा 32 फीट परिशिष्ट 'अ' प्रदर्श 6 में क से ख दर्शाया हैं। परन्तु अब इस राजीनामा के अनुसार बिन्दू क से 28 फीट पूर्व की ओर तथा बिन्दु ख से 4 फीट पश्चिम की ओर एक नया बिन्दु 'य' कायम करने किया जावेगा यह 'य' बिन्दु को बिन्दु 'म' से मिलाने पर जो त्रिकोणात्मक भूमि होगी वह बिन्दु ख म य होगी वह ख म य बिन्दु की भूमि प्रतिवादीगण मुल्तानमल व डॉ. बंशीधर के अधिकार एवं स्वामित्व की होगी। इस पर वादीगण सहमत हैं। बिन्दु य से क बिन्दु तक पश्चिम की ओर वादीगण अपने अपने मकान के दरवाजे निकाल कर ख म य बिन्दु से भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि आवागमन हेतु होगी। बिन्दु म के पूर्व व उत्तर में मोहम्मद का मकान पश्चिम दीवार के सीध में पूर्व से पश्चिम की ओर 20 फीट का आम रास्ता होगा। क बिन्दु से ख बिन्दु तक की भुजा 32 फीट से यदि ज्यादा निर्माण कार्य किया हुआ हैं तो वादीगण उसे अपने खर्चे पर हटाकर प्रतिवादीगण मुल्तानमल व डॉ. बंशीधर को खाली करके देगा। प्रतिवादी मुल्तानमल व डॉ. बंशीधर य बिन्दु से म बिन्दु तक की दीवार जिसका नाप 26 फीट का हैं य बिन्दु से 5 फीट तक की पुरी दीवार का निर्माण करेगा उसी दीवार के आगे पश्चिम की तरफ दरवाजे बारी इत्यादि निकालेगा य से ख के बीच शोचनालय या स्नानगृह का निर्माण प्रतिवादी नहीं करेगा। न ही वादीगण निर्माण करेगा।

वादीगण मोतीबन आदि के परिसर भूमि की पूर्व भुजा परिशिष्ट 'अ' प्रदर्श 6 मे ख ग 61 फीट दर्शायी हैं वह घ बिन्दु विरधाराम की चीणो से पूर्व की तरफ 38 फीट तथा बिन्दु क से ख बिन्दु पूर्व की ओर 32 फीट होगी तथा इस नाप को मिलाते हुये ग ख बिन्दु की सीधी दीवार होगी इस सीध में पूर्व की ओर यदि वादीगण के यदि कच्चे ओरे पटिट्या इत्यादि अधिक भूमि पर बने होगे तो वादीगण इसे हटायेगें। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी अपनी हद में अपने

खर्चे पर दीवारका निर्माण कर सकेगें।

वादीगण ने परिशिष्ट 'अ' व प्रदर्श 6 नक्शा में भुजा फ ख ग दक्षिण में त्रिकोणात्मक भूमि पड़त दर्शायी हैं जो यह त्रिकोणात्मक भूमि ख फ ग अब प्रतिवादीगण डॉ. बंशीधर मुल्तानमल के अधिकार व आधित्पय की होगी इस बाबत वादीगण आदि को कोई आपत्ति नहीं हैं तथा नही इस ख फ ग बिन्दु भूमि पर भविष्य में कोई आपत्ति नहीं करेगा।"

The compromise duly attested by Notary Public Shri S.L. Meta and verified by the Deputy Registrar(Judicial), Rajasthan High Court, Jodhpur on 7.4.2006 shall also remain part of the decree. Both the parties shall bear the cost equally.

The appeal stands disposed of as indicated above.

(**PRAKASH TATIA),J.**

mlt.